न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
न्यायालय वाद संख्या सी0आर0एम0–13 / 2011–12
मो0 हसरे आलम बनाम सरकार

Annexure-14

आदेश

Sl. no of Order and Date	Order and officer Signature	Action taken on order and date
31-10-2013	अपीलकर्त्ता श्री खालिद साह वल्द हासीम देवान, ग्राम–बलरामपुर, थाना– मैनाटांड़ द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता के जनवितरण दुकान से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या–29 / 2007 को रद्द कर दिया गया है। विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। इसी बीच अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.12.2012 को न्यायालय को बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता की मृत्यु हो गई है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विक्रेता की विधवा एवं उनके दो पुत्र का नाम प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन–पत्र दिया गया। चूँकि अनुज्ञप्ति विक्रेता खालीद साह के नाम पर ही है लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है। अतः उनके स्थान पर उनके पुत्र एवं विधवा का नाम प्रतिस्थापित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध विक्रेता स्व0 खालीद साह के पुत्र मो0 हसरे आलम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई जिसका ॅब्श्र६ सं0–6965 / 13 है। इस रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.07. 2012 में आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा समाहर्त्ता के आदेश दिनांक 04.12.2012 को रद्द करते हुए आवेदक के प्रतिस्थापन संबंधी अपील को स्वीकृत करने संबंधी आदेश पारित किया गया। यह भी आदेश दिया गया कि अपील पर गुण दोष के आधार पर निष्पादन किया जाय। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मैनाटांड़ ने अपने पत्रांक 211, दिनांक 28.10.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 26.10.2011 को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि विक्रेता	

खालीद साह द्वारा उपभोक्ताओं से सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 का राशन देने के बहाने अक्टूबर एवं नवम्बर 11 का भी कूपन फाड़ लिया गया है। इस सूचना के आधार पर प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता के वितरण स्थल का निरीक्षण किया तथा दुकान बंद पाया गया। उभोक्ताओं द्वारा बतलाया गया कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के आने की सूचना पाकर दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गया है। इस बात की पुष्टि स्थानीय पूर्व मुखिया मो0 हारून एवं वर्त्तमान पंचायत समिति सदस्य मो0 अब्दुल्लाह द्वारा की गई। पुनः प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 27.10.2011 को दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर वितरण स्थल की जॉच की गई पुनः दुकान बंद पाया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने अपने आदेश में विक्रेता खालीद साह द्वारा बरती गई निम्नांकित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है :—

1. दिनांक 26 एवं 27.10.2011 को दुकान बंद रखना।
2. सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 के राशन देने के बहाने नवम्बर 2011 का कूपन फाड़ देना।
3. वितरण में गड़बड़ी।
4. उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार।

आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विक्रेता से उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में कारण पृच्छा मांगा गया लेकिन उनके द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने आवेदक को दोषी पाकर उनके जनवितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या 29/07 को रद्द कर दिया गया। निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई एवं अपीलकर्त्ता को सुना गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता से उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा कारण पृच्छा की मांग की गयी, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नही की

गयी। अतः 30.11.2011 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के आधार पर आदेश पारित किया गया। उन्होनें सार्वजनिक ज0वि0प्र0 (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 की कंडिका 6 तथा 7 (ii) अंकित आदेश का हवाला देते हुए लिखा है कि :—

(i) जन वितरण प्रणाली की दुकान सप्ताह में प्रत्येक दिन मई से अगस्त तक 7:00 बजे पूर्वा0 1:00 बजे अप0 तक यथा माह सितम्बर से फरवरी तक 8:00 बजे पूर्वा0 से 2:00 अप0 तक खुली रहेगी।

(ii) यदि अनुज्ञाप्तिधारी किसी प्रावाधान या अनुज्ञाप्ति का निबंधन एवं शर्तों या किसी अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों या राज्य सरकार के आदेश का उल्घंन करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी अनुज्ञाप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द की जायेगी।

उक्त आदेश के आलोक में एक माह के राशन देने के बहाने दो माह का कूपन फाड़ लेने के आरोप तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटाड़ के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्त्ता के अनुज्ञाप्ति संख्या—29/2007 को रद्द कर दिया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय में भी अपने उपर लगाये गये आरोपों के विरूद्ध कोई साक्ष्य या प्रमाण दाखिल नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता को कारण—पृच्छा दाखिल करने हेतु समय दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कारण—पृच्छा दाखिल नही किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि दिनांक 26.10.2011 एवं 27.10.2011 वे बीमार हो गये थे, जिसके कारण दूकान बंद थी, लेकिन प्रमाण स्वरूप इस न्यायालय में भी उन्होने चिकित्सक का प्रमाण—पत्र दाखिल नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी—सह—अनुमंडल पदाधिकारी,

नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्त्ता के ज0वि0प्र0 से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या–29/2007 को रद्द किया है वो सही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

5/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

5/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।